न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 18/2023

बउनवान

1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र बाबूसिंह जाति राजपूत
2. जसवंतसिंह पुत्र बाबूसिंह जाति राजपूत निवासीगण बाण्डाजी की टेक बारां
3. सीमाकंवर आयु 40 वर्ष पुत्री बाबूसिह पत्नी नरेश राणा जाति राजपूत निवासी बारां हाल निवासी सौभागपुरा तह० किशनगंज
4. राजेशकंवर आयु 45 वर्ष पुत्री बाबूसिंह पत्नी लखवीरसिंह जाति राजपूत निवासी बारां हाल गुरूनानकपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां

अपीलांटगण

बनाम

1. मिथलेश पुत्री रामसिंह पत्नी देवेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी जोधपुर हाल निवासी जयपुर
2. चैनसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत
3. बिशनसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासीगण बासनी फर्स्ट फेज जोधपुर राजस्थान
4. कैलाशीबाई पत्नी बृजमोहन जाति तेली निवासी अस्पताल रोड बारां
5. गीताबाई पत्नी धन्नालाल जाति तेली निवासी सत्संग भवन रोड बारां
6. चन्द्रकांता पत्नी द्वारकाप्रसाद जाति गोस्वामी निवासी नगरपालिका कॉलोनी बारां जिला बारां
7. मधुबाला पत्नी सत्यनारायण जाति तेली निवासी पलायथा तह० अंता
8. नगरपरिषद बारां जर्ये आयुक्त नगरपरिषद बारां
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

अपील विरूद्ध नामांतरण संख्या 825 दिनांक 22–5–2020 ग्राम सुसावन तह०बारां

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट

उपस्थितः 1. श्री ओम प्रकाश मेहता–II अभिभाषक (अपीलांट्स)
2. श्री विवेक वैष्णव अभिभाषक (रेस्पो. 1 ता 3)
3. श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (रेस्पो. 5 ता 7)
4. श्री कृष्णकांत शर्मा अभिभाषक (रेस्पो. 8)

निर्णय दिनांक 24.01.2025

अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सुसावन की आराजी खसरा नं0 163 रकबा 0.82 हेक्टे० खसरा नं0 164 रकबा 0.36 हेक्टे० खसरा नं0 167 रकबा 200 हेक्टे० कुल किता 3 कुल रकबा 3.18 हेक्टे० आराजियात के संदर्भ मे तहसीलदार बारां द्वारा इंतकाल कमांक 825 दिनांक 15–5–2020 को खोला जाकर 22–5–2020 को स्वीकृत किया गया है जो समर्पण के द्वारा खोला जाना बताया गया है वह विधि विरूद्ध एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तो के विपरीत है। अपीलांटगण एवं रेस्पो० कम 1 ता 3 द्वारा अपनी आराजियातो का कोई समर्पण नही किया गया है इस प्रकार तहसीलदार बारां द्वारा इंतकाल कमांक 825 गलत रूप से दर्ज किया गया है जो काबिले निरस्तनीय है। रेस्पो० कम 1 ता 3 द्वारा उनकी मां श्रीमति निर्मला कंवर पुत्री बाबूसिंह का देहान्त बाबूसिंह के देहान्त के पूर्व ही हो चुका था इस कारण रेस्पो० कम [illegible] बाब[illegible] इतकाल के समय से ही अपना सहमति पत्र लिखकर दे दिया था कि उनका कोई हिस्सा [illegible] है [illegible]सिंह के शेष वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज किया जाये इस बात का सह[illegible] दिनांक 15–[illegible]–2009 को लिखाया जाकर नोटेरी से तस्दीक कराया गया है इस प्रकार उक्त आराजियात मे [illegible] कोई हिस्सा [illegible] बाबूसिंह का हिस्सा अपीलांटगण को प्राप्त होना है इस प्रकार [illegible] का 1/20, 1/20 [illegible]हित है। उक्त समर्पण तत्कालीन चेयरमेन कमल राठोर द्वारा फर्जी व कूटरचित दस्तावेज के आधार पर अपीलांटगण व रेस्पो० कम 1 ता 3 का फर्जी समर्पण पत्र तैयार कर उक्त नामान्तकरण संख्या 825 दिनांक 22–5–2020 खुलवाया गया है जिसकी प्रथम सूचना क्रमांक 473 दिनांक 18–6–2022 अपीलांट सुरेन्द्रसिंह द्वारा धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता मे थाना कोतवाली बारां मे रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.03.17 10:28:25 IST
Reason: SelfAttested

उक्त समर्पण ग्राम सुसावन खसरा नं0 163, 164, 167 की पत्रावली नगरपरिषद बारां से जो अनुमोदित योजना शुभलक्ष्मी नगर की तैयार की गई वह नगरपरिषद बारां मे उपलब्ध नही है जिसकी प्राथमिक रिपोर्ट थाना कोतवाली बारां मे दर्ज है उक्त कार्य नगरपरिषद बारां द्वारा दिनांक 22–3–2023 को कमांक नपबा/रूपा0/2023/10835 पर लिखित मे अपीलांट सुरेन्द्रसिंह को दिया गया है इस प्रकार उक्त समर्पण दस्तावेज फर्जी तैयार किया गया है जिसकी जानकारी जमाबंदी सम्मत 2071–74 खाता संख्या नया 278 पुराना 132 मे अपीलांटगण का नाम था किन्तु जमाबंदी सम्मत 2071–74 की नई जमाबंदी खाता संख्या नया 305 मे उक्त तीनो खसरा नं0 163, 164, 167 नगरपालिका बारां के खाते मे दर्ज किये गये जो अपीलांटगण के विरूद्ध प्रभावशून्य होने के कारण काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांटगण के फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर तत्कालीन चेयरमेन कमल राठोर व रेस्पो० कम 4 ता 7 द्वारा जालसाजी कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कोतवाली बारां में 473 दिनांक 18–6–2022 दर्ज होने के कारण उक्त समर्पण पत्रावली नगरपरिषद बारां से तत्कालीन चेयरमेन कमल राठोर द्वारा नगरपरिषद बारां से गायब कर दी गई है इस कारण उक्त पत्रावली नगरपरिषद बारां मे उपलब्ध नही है इस प्रकार उक्त समर्पण अपीलांटगण व रेस्पो० कम 1 ता 3 का फर्जी समर्पण तैयार कर उसके आधार पर खोला गया इंतकाल क्रमांक 825 दिनांक 29–5–2020 अपीलांटगण व रेस्पो० कम 1 ता 3 के हिस्से तक निरस्त किया जाकर उनका नाम राजस्व रिकार्ड मे पुनः दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर इंतकाल कमांक 825 दिनांक 22–5–2020 अपीलांटगण व रेस्पो० कम 1 ता 3 के हिस्से तक निरस्त फरमाया जावे अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष हेतु प्रकरण नियत किया।

दौराने बहस रेस्पोडेन्ट्स के अभिभाषक अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट्स की सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि रेस्पो० कम 1 ता 3 द्वारा बाबूसिंह के फोती इंतकाल के समय ही अपना सहमति पत्र लिखकर दे दिया था कि उनका कोई हिस्सा नही है बाबूसिंह के शेष वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज किया जाये इस बात का सहमति पत्र दिनांक 15–12–2009 को लिखाया जाकर नोटेरी से तस्दीक कराया गया है इस प्रकार उक्त आराजियात मे रेस्पो० कम 1 ता 3 का कोई हिस्सा नहीं है बाबूसिंह का हिस्सा अपीलांटगण को प्राप्त होना है। तत्कालीन चेयरमेन कमल राठोर द्वारा फर्जी व कूटरचित दस्तावेज के आधार पर अपीलांटगण व रेस्पो० कम 1 ता 3 का फर्जी समर्पण पत्र तैयार कर उक्त नामान्तकरण संख्या 825 दिनांक 22–5–2020 खुलवाया गया है जिसकी प्रथम सूचना क्रमांक 473 दिनांक 18–6–2022 अपीलांट सुरेन्द्रसिंह द्वारा धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता मे थाना कोतवाली बारां मे रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। उक्त समर्पण ग्राम सुसावन खसरा नं0 163, 164, 167 की पत्रावली नगरपरिषद बारां से जो अनुमोदित योजना शुभलक्ष्मी नगर की तैयार की गई वह नगरपरिषद बारां मे उपलब्ध नही है। अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर इंतकाल कमांक 825 दिनांक 22–5–2020 अपीलांटगण व रेस्पो० कम 1 ता 3 के हिस्से तक निरस्त फरमाया जावे।

हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट्स पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

चूंकि प्रकरण के [illegible] थाना कोतवाली बारां में प्राथमिकी दर्ज करवाया जाना अंकित किया है तथा उसी कार्यवाही में [illegible] सम्बन्धित दस्तावेजात सही हैं अथवा फर्जी हैं का निर्धारण बाद सुनवाई हो[illegible] से संबंधित पत्रावली भी उपलब्ध नही है। जिसकी प्राथमिकी दर्ज होना [illegible] नगर परिषद [illegible] ने अपीलांट कम 1 को संबोधित पत्र दिनांक 22.03.2023 से स्पष्ट है। परिणामस्वरूप अपील [illegible] सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट्स सारहीन होने से [illegible] रिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.03.17 10:28:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर, बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)